

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 07.11.2023

भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत नामान्तरण बही आर-6 रजिस्टर तहसील सदर में जालसाजी से भूमाफियाओं को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने वाले अभियुक्त रिटायर्ड कानूनगो जाहर सिंह को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 368/20 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त रिटायर्ड कानूनगो जाहर सिंह पुत्र स्व0 रामदीन निवासी मो0 सुभाषनगर बजरिया फील्ड थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को मोहल्ला सुभाष नगर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



जनपद फतेहगढ़ में भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में थाना मऊदरवाजा पर दिनांक 27.08.2020 को मु0अ0सं0 368/20 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें भूमाफियाओं द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाया जा रहा था, इसके सम्बन्ध में अभियोग उपरोक्त में ग्राम तेरा परगना मोहम्मदाबाद से सम्बन्धित गाटा सं0 664 रकबा 9 एकड़ के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा फर्जी व कूटरचित आदेश श्रीमान चकबन्दी अधिकारी फतेहगढ़ का वाद सं0 224/24.09.2002 को प्रदर्शित करते हुये तथा तहसील सदर जनपद फर्रुखाबाद में नामान्तरण रजिस्टर में अभियुक्तों द्वारा साठ गांठ कर नामान्तरण रजिस्टर का पृष्ठ बदल कर अलग से पृष्ठ चस्पा कर अभियुक्तों द्वारा जमीन अपने नाम दर्ज करायी गयी थी। इसके उपरान्त चकबन्दी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा खतौनी में नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सम्बन्धित से जाँच कराकर तत्समय दोषियों को दण्डित कर विभागीय कार्यवाही भी की गयी तथा आदेश फर्जी पाये जाने के कारण दिनांक 27.08.2020 को अभियुक्तगण के विरुद्ध श्री रविकान्त सम्बद्ध रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा मु0अ0सं0 368/20 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसके उपरान्त गहनता से हुयी विवेचना के अनुक्रम में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रिटायर्ड कानूनगो जाहर सिंह पुत्र स्व0 रामदीन निवासी मो0 सुभाषनगर बजरिया फील्ड थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद तत्कालीन रजिस्ट्रार कानून गो का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया।

ज्ञातव्य हो कि जनपद फतेहगढ़ में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई प्रकरण वर्तमान में प्रकाश में आये हैं जिस पर विभिन्न थानों में भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा जिनमें निरन्तर कार्यवाही जारी है, तथा प्रदेश सरकार की मंशानुसार भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गिरफ्तारशुदा रिटायर्ड जाहर सिंह उपरोक्त की भूमाफियाओं से संलिप्तता के कारण अभियोग उपरोक्त में गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर रिटायर्ड कानून गो जाहर सिंह पुत्र स्व0 रामदीन निवासी मो0 सुभाषनगर बजरिया फील्ड थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ने बताया कि मैं पिछले वर्ष कानूनगो पद से रिटायर हो चुका हूँ तथा मैं सन् 2011 से लेकर 2019 तक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर तहसील सदर में नियुक्त रहा एवं आर-6 रजिस्टर जिसको नामान्तरण बही के नाम से भी जानते हैं, परगना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से संबंधित यह अभिलेख मेरी संरक्षता में था तथा ग्राम तेरा भी मोहम्मदाबाद क्षेत्र का गाँव है, जिसमें गाटा सं0 664 क्षेत्रफल 9 एकड़ भूमि जिसके संबंध में चकबन्दी अधिकारी फतेहगढ़ के वाद सं0 224/09.09.2002,

जोकि आर – 6 रजिस्टर पर लाभार्थी रामशंकर, राजरानी व रामकली के नाम दर्ज करने हेतु अंकित किया गया था। उक्त रजिस्टर के पृष्ठ सं० 246 को अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ की बात अपने बयानों में स्वीकार की है।

अभियुक्त रिटायर्ड कानूनगो जाहर सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 368/20 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री आमोद कुमार सिंह
2. व०उ०नि० श्री सुहेल खान
3. का० आशु
4. का० पंकज
5. का० योगेश

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट –कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 07.11.2023

07 आतिशबाजी कार्टूनों सहित 01 अभियुक्त कोतवाली फर्रुखाबाद व SOG टीम फतेहगढ़ द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार, प्र०नि० कोतवाली फर्रुखाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आगामी त्यौहार दीपावली को दृष्टिगत रखते हुये कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस व SOG की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 07.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त अमरीश गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार उम्र करीब 43 वर्ष निवासी 2/76 खतराना कोतवाली फर्रुखाबाद को लिंगीगंज मार्केट फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर कब्जे से 07 आतिशबाजी से भरे कार्टून बरामद कर कोत० फर्रुखाबाद पर मु०अ०सं० 411/23 धारा 5/9 ख(क), 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अमरीश गुप्ता ने पूछने पर बताया कि मैंने आगामी त्यौहार दीपावली को दृष्टिगत रखते हुये आतिशबाजी खरीदकर अपनी दुकान पर रखी थी मैं उक्त आतिशबाजी को कहीं ले जाकर दूसरी जगह रखने की फिराक में था कि तभी पुलिस ने मुझे मौके पर आकर मय आतिशबाजी के गिरफ्तार कर लिया। आतिशबाजी के लाइसेंस के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे पास आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अमरीश गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार उम्र करीब 43 वर्ष निवासी 2/76 खतराना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अमरीश गुप्ता उपरोक्त आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 2865/2011 धारा- 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 थाना कोतवाली फर्रुखाबाद फतेहगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 411/23 धारा धारा 5/9 ख(क), 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 कोतवाली फर्रु0 फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण :-

- 1- कार्टून में फुलझरी 80 पैकेट, 2- एक गत्ते में फुलझरी , अम्बे ब्रांड बडी जिसमें 60 पैकेट 3- एक गत्ता फुलझरी दीपक ब्रांड मीडियम 60 पैकेट , 4- एक गत्ता टिकिया रौल जिसमें 80 पैकेट , 5- चार पैकेट बड़े राकेट , 6- 3 बण्डल लक्ष्मी बम्ब पटाका जिसमें 30 पैकेट 7- 8 पैकेट मगरमच्छ छाप पटाका 8- चार पैकेट बेबी राकेट 9- एक बण्डल किट कैट जिसमें 10 पीस , 10- एक पैकेट बारूद शोट पटाका , 11- तीन पैकेट छोटी चकरी , 12- पाँच पैकेट बड़ी चकरी , 13- दो पैकेट मोरी लाइट फुलझरी , 14- टाइगर छाप पटाका 3 पैकेट , 15- तीन पैकेट छोटी पोप पोप पटाका , 16- एक पैकेट बड़ा पोप पोप पटाका , 17- एक पैकेट तीस शाट पटाका , 18- दो पैकेट पानी पटाका जिसमें 40 पीस , 19 -एक बण्डल अनार बम्ब पटाका जिसमें 5 पैकेट , 20- आठ डिब्बी छोटी फुलझरी , 21- दो डिब्बी छोटी चकरी महावीर ब्राण्ड 8 पीस , 22-- जी बुम्बा मैजेक टेबटेल 2 पैकेट , 23- पानी पटाका लियो पार्ड किंग ब्रांड दो पैकेट , 24- एक बड़ी पटाका इलाइटर ब्राण्ड , 25- छोटी दरी पटाका आर0आर0एस0 ब्राण्ड 10 पैकेट , 26- मुन्ना पटाका दो पैकेट जिसमें 50 पीस , 27- अनार डब्बा सुपर डीलक्स ब्रांड 21 पैकेट जिसमें 42 पीस बरामद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री मंगल सिंह कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
2. हे0का0 अंकित कुमार , का0 सौरभ

गिरफ्तार/बरामद करने वाली SOG टीम फतेहगढ़ टीम :-

- 1-निरीक्षक श्री अमित कुमार गंगवार SOG टीम फतेहगढ़
- 2- हे0का0 अजीत गौतम , का0 अमरनाथ शर्मा , का0 रामू यादव , का0 कपिल कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



दिनांक-07.11.2023

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में कोतवाली कायमगंज पर **पंजीकृत मु0अ0स0- 308/22 धारा 3(1)गैंगस्टर अधिनियम** के सम्बन्ध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 02.11.2023 वाद संख्या 24/2023 अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम **अमित सक्सेना पुत्र महिमा चन्द्र निवासी सैंथरा कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद** के अनुपालन में गिरोह बन्द निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्त द्वारा अपनी माता श्रीमती मुन्नी देवी के नाम पर अनैतिक कार्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति को आदेश के क्रम में 14(1) सम्पत्ति जब्तकरण एवं कुर्की की कार्यवाही क्रमशः नवाबगंज स्थित जमीन 0.0180 हे0 मूल्यांकित कीमत 10,80,000/- रुपये व बना भवन-128 वर्ग मीटर मूल्यांकित कीमत 16,47,278/-रुपये (**दोनों की कुल कीमत 27,27,278/-रुपये**) को विधिवत मुनादी कराकर कुर्क किया जाएगा।

@fatehgarh police

F Fatehgarh Police

सोशल मीडिया सेल
फतेहगढ़ पुलिस













